न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या 07/19

1. विशम्भर गिरि पुत्र समदगिरि जाति गुसाई निवासी मठ बादरी तहसील बसेडी जिला धौलपुर

......................................प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी बहैसियत लैण्ड होल्डर।

......................................अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी प्यारेलाल सौठवाल आर.ए.एस.

वकील प्रार्थी – श्री समरवीरसिंह चौहान एडवोकेट

वकील अप्रार्थी – पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 13.03.2020

हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी विशम्भर गिरि पुत्र समदगिरि जाति गुसाई निवासी मठ बादरी तहसील बसेडी जिला धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 318/1571 रकवा 0.07 विस्वा ,खसरा नम्बर 345 रकवा 0.05 विस्वा, खसरा नम्बर 333 रकवा 0.08. विस्वा ,खसरा नम्बर 346 रकवा 0.05 विस्वा कुल 4 कुल रकवा 1.05 वीघा बाके ग्राम मठ बादरी हाल खसरा नम्बर 127 रकवा 0.09 है0 खसरा नम्बर 170 रकवा 0.06 है0 खसरा नम्बर 159 रकवा 0.10 है0 ,खसरा नम्बर 171 रकवा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.31 है0, बाके ग्राम मठ बादरी में 1/4 भाग आराजी का काबिज काश्तकार है। बाके ग्राम मठबादरी की जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 2059 तक के बाद अनुसार खाता संख्या 55 में शुद्व नाम विशम्भर गिरि पुत्र समदगिरि जाति गुसाई सा.देह खातेदार सही अंकित है जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 2059 के बाद दौराने बन्दोवस्त कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम विशम्भरगिरि पुत्र समदगिरि के स्थान पर दिगम्वरगिरि पुत्र समदगिरि अंकित हो गया जो शुद्व किये जाने लायक है। बन्दोवस्त कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थी के नाम विशम्भर गिरि के स्थान पर दिगम्वरगिरि जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 के खाता संख्या 52 तथा नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 67 में प्रार्थी का नाम विशम्भवरगिरि के स्थान पर दिगम्वरगिरि वाके ग्राम मठ बादरी दर्ज है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । नायब तहसीलदार बसेडी (राजकीय पैरोकार) ने दिनांक 03.03.2020 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 2059 ग्राम मठबादरी के खाता संख्या 55 में खातेदार का नाम विगम्वर पुत्र समदगिरि था लेकिन बन्दोवस्त संख्या 2005 से

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

2025 के खाता संख्या 49 में खातेदार का नाम दिगम्वरगिरि हो गया तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075 – 2078 के खाता संख्या 67 में भी खातेदार का नाम दिशम्भरगिरि है।

अतः प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत आता है अतः मुताविक रिकार्ड एवं रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक वृत बसेडी के अनुसार खातेदार दिगम्बरगिरि पुत्र समदगिरि के स्थान पर विशम्भरगिरि पुत्र समदगिरि किया जाना उचित है। मेरे द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 ,मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संन् 2020 से –2025 ,जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2059, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 वाके ग्राम मठबादरी का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में विशम्भरगिरि के नाम बन्दोवस्त से पूर्व दर्ज है लेकिन दौराने बन्दोवस्त विशम्भरगिरि के स्थान पर दिगम्वरगिरि कर दिया है जो लिपकीय भूल है जिसे मेरी राय में शुद्व किया जाना उचित है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसेडी को आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 318/1571 रकवा 0.07 विस्वा ,खसरा नम्बर 345 रकवा 0.05 विस्वा, खसरा नम्बर 333 रकवा 0.08. विस्वा ,खसरा नम्बर 346 रकवा 0.05 विस्वा कुल 4 कुल रकवा 01.5 विस्वा बाके ग्राम मठ बादरी हाल खसरा नम्बर 127 रकवा 0.09 है0 खसरा नम्बर 170 रकवा 0.06 है0 खसरा नम्बर 159 रकवा 0.10 है0 ,खसरा नम्बर 171 रकवा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.31 है0, बाके गप्रम मठ बादरी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में दिगम्बरगिरि पुत्र समदगिरि हिस्सा 1/4 जाति गोसाई (गुसाई) सा.देह खातेदार के स्थान पर विशम्भरगिरि पुत्र समदगिरि हिस्सा 1/4 जाति गोसाई (गुसाई) सा.देह खातेदार अंकित किया जावे। तद्नुसार रिकार्ड में अमल किया जावे।

आज दिनांक 13.03.2020 को यह फैंसला मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

उपखण्डधिकारी
बसेडी

उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज.